न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
117 / 2019	10.07.2019	29.11.2022

उनवान

1. बसंतराम पुत्र कैन्हया जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
2. चम्पा पुत्री कैन्हया जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी रतिराम जाति चमार निवासी बहोडा खुर्द।
3. रेवती पुत्री कैन्हया जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी विश्म्वर जाति चमार निवासी बहोडा खुर्द।
4. प्रेम पुत्री कैन्हया जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी रामसिंह जाति चमार निवासी कहाडी।
5. फूली पुत्री कैन्हया जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी देवदत जाति चमार निवासी बिठवाना।
6. रामफल पुत्र जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
7. कैला देवी पुत्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी बनवारी जाति चमार निवासी नैनथलवास तह0 नांगल चौधरी हरि0।
8. सुरेश देवी पुत्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल शेरसिंह जाति चमार निवासी ढाणी भीखावास, मुण्डावर।
9. कश्मीरी देवी पुत्री जगमाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी छाजूराम जाति चमार निवासी खेडी तह0 कोटकासिम।
10. रामानन्द पुत्र श्योलाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
11. सूरजी पुत्री श्योलाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना हाल पत्नी दुलीचन्द जाति चमार निवासी कतोपुरी तह0 जाटूसाना।
12. रामप्यारी पुत्री श्योलाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमरानाह हाल पत्नी प्रभातीलाल जाति चमार निवासी बिठवाना तह0 रेवाडी।
13. रामस्वरूप पुत्र श्योलाल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना (लापता करीब 15 साल)।
14. सतपाल पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
15. मदनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
16. बलवंत पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।

–:प्रार्थीगण।

बनाम

1. दयानन्द पुत्र सम्पत जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
2. रेखा पुत्री रामफल जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
3. धौली पुत्री रामफज जाति चमार निवासी नानगवास तह0 नीमराना।
4. उपपंजीयक नीमराना।

–:अप्रार्थीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,188,189)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:–1 श्री राधेश्याम यादव एड0 प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री विजय सिंह चौहान एड0 अप्रार्थी सं. 01 की ओर से तथा प्रति.सं. 02व 03 की ओर से इकबाल जवाब।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. प्रार्थीगण / वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88,188,189 आर0टी0एक्ट0 पेश कर उसके साथ प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि हाल

आ. ख.नं. 169/02.05 वाकें ग्राम चावण्डी तह0 नीमराना हम प्रार्थीगण के पूर्वज कैन्हया व श्योलाल उर्फ श्योदान की निष्फ–निष्फ भाग के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है जो खरीददार खातेदार काश्तकार रहे है इसलिए इनके फौत होने पर कैन्हया पुत्र गंगासहाय के 1/2 हिस्से की कुल विरासत मे वादी सं. 01 लगा. 05 मे से प्रत्येक का 1/6 भाग तथा प्रार्थी सं. 06 लगा. 09 का 1/6 भाग मे से संभाग अर्थात प्रत्येक का 1/24 भाग तथा श्योलाल उर्फ श्योदान के 1/2 भाग मे प्रार्थी सं. 10 लगा. 12 का प्रत्येक 1/8 भाग तथा प्रार्थी सं. 13 लगा. 16 का प्रत्येक का 1/32 भाग खातेदार काश्तकार काविज है। व अप्रार्थी दयानन्द का नाम उक्त आराजी से कलमजन करवाकर अपना नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

2. सन् 1955 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव के आने के पश्चात तथा जागीरदारी,विस्वेदारी,जमीदारी उन्मूलन के पश्चात संवत 2020 यानि 1960 मे बंदोबस्त प्रारम्भ हुआ तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव के आने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। संवत 2020 मे बंदोबस्त कर्मचारीयों द्वारा मिसल बंदोबस्त तैयार करते समय प्रार्थीगण के बुजूर्गों के नाम के साथ विधि विरूद्व गैर कानूनी तरीके से विवादित आराजी के साथ उनकी आराजी सामिल करते हुए सम्पत पुत्र गंगासहाय का नाम गलत अंकन कर दिया गया जबकि विवादित आराजी पर कभी भी अप्रार्थीगण के बुर्जूग सम्पत पुत्र गंगासहाय का कभी भी कब्जाकाश्त नही रहा है,और वयनामा के द्वारा खरीद के दिन दिनांक 11.02.1955 से प्रार्थीगण के बुजूर्ग श्योदान,कैन्हया व उनकी मृत्यू के पश्चात हम प्रार्थीगण का लगातार अव तक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

3. अप्रार्थी सं. 01 हाल राजस्व रिकॉर्ड मे उसके नाम का गलत इन्द्राज होने से उसके मन मे बेईमानी आ गई और उनका हिस्सा ना होते हुए भी भूमि को बैक रहन कर दिया तथा अव विवादित आराजी को दिगर व्यक्तियों को बेचानकर खुर्द–बुर्द व मुंतकिल करने पर ऊतारू है। तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान करते हे यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुवों मे सफल होगये तो प्रार्थीगण अपने विधिक हकूकों व अधिकारों से वंचित हो जायेगे और अपूर्णिय क्षति होगी जिसे अर्थ मे नही नापा जा सकता है। अप्रार्थीगण एलानिया धमकी दे रहे है कि हम राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम के आधार पर आये गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को बेचान करके रहेगे। यदि प्रतिवादीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण का जीवन वर्वाद हो जाएगा जीवन की समस्त कमाई व जायदाद उनके कब्जे काश्त मे जाने से भारी आर्थिक क्षति होगी। इसलिए दावा हु0ई0 दवामी पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. अतः प्रार्थना है कि प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल ख.नं 169/02.05 वाके ग्राम चावण्डी तह. नीमराना मे प्रार्थीगण के हिस्से को अप्रार्थीगा द्वारा रहन वय हिब्बा या अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल ना करे विवादित आराजी मे फैसल वोने काटने व लाने लेजाने तथा उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करे और ना ही गलत इन्द्राज के आधार पर कोई नया दस्तावेजात तैयार कर उसके आधार पर नामातंकरण दर्ज कर स्वीकृत की करे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति वनाये रखे।

5. प्रा0 पत्र पेश होने पर प्रार्थीगण / वादीगण के वकील की एकपक्षीय वहस सुनी जाकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि वो दिनांक 31.07.2019 तक हाल आ.ख.नं. 169/02.05 वाके ग्राम चावण्डी तह0नीमराना के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वाद तामिल अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाव पेश किया कि प्रार्थीगण का प्रा0पत्र गलत है स्वीकार नहीहै। प्रार्थीगण ने अपने परिवार का सजरा गलत पेश किया है,तथा प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा गलत अंकित किया है। सजरे मे अन्य सदस्यों का नाम वर्णित नही किये है। जिस सूरत मे प्रार्थीगण स्वच्छ हस्त से न्यायालय मे नही आये है।

कैन्हया,श्योलाल व सम्पत जो आपस मे सगे भाई है तथा इनके पिता का नाम गंगासहाय है। गंगासहाय की आराजी मे तीनों भाईयों का बराबर बराबर 1/3,1/3 हिस्सा है। ख.नं. 169/02.05 पर अप्रार्थी सं. 01 का कब्जा काश्त रहा है। तथा राजस्व रिकॉर्ड मे भी 1/3 हिस्सा दर्ज है,उसारो पूर्व अप्रार्थी सं. 01 के पिता सम्पत का 1/3 हिस्सा रहा है। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र मे बेबुनयादी तथ्य दर्ज किये है। ख.नं. 141/0.02,142/01.32,143/0.75 संपूर्ण पर अप्रार्थी स. 01 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए झुठा वाद पेश किया है। उक्त आराजी से प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। राजस्व रिकॉर्ड मे कोई गलत इन्द्राज नही है,ख.नं. 169/02.05 के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी सं. 01 का कब्जा काश्त है।इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र गलत प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारीज फरमाया जावें।

7. जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र की पुष्टि मे नकल जमाबंदी संवत 2071–74,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2020,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042,नकल खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग संवत 2020, नकल खतौनी भूप्रबन्ध विभाग संवत 2042,नकल जमाबंदी संवत 2014,नकल बैयनामा दिनांक 16.08.1954,नकल बैयनाम दिनांक 11.02.1955, नकल दावा सं. 8/1974,नकल निर्णय दावा दिनांक 13.06.1975,नकल पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.1975,नकल जमाबंदी संवत 2030,नकल इंतकाल सं0 92,नकल इंतकाल सं.988,नकल इंतकाल सं. 263,नकल इंतकाल सं0 265 पेश किए है। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल बैयनामा दिनांक 16.08.1954 के अनुसार आराजी विवादित सिगराम पुत्र रामसहाय,सम्पत पुत्र गंगासहाय,चन्द्र पुत्र सुखदेव के द्वारा कय की गई थी तथा बैयनामा दिनांक 11.02.1955 के अनुसार आराजी विवादित श्योदान,कैन्हया पुत्रान गंगासहाय द्वारा कय की गई थी। जिन बैयनामो के आधार पर इंतकाल सं0 263,265 दर्ज होकर मंजूर हुए तथा नकल जमाबंदी संवत 2014 मे उक्त इंतकालों के आधार पर जमाबंदी संवत 2014 मे अमल हुआ है। परन्तु जमाबंदी संवत 2014 मे इन्द्राज इंतकाल सं0 92 के आधार पर बदला गया है। इसी प्रकार भू प्रबन्ध विभाग संवत 2020 के दौरान साबिक रिकॉर्ड के अनुसार अमल नही हुआ है। चुकि हक हकूकों का निर्णय मूल वाद मे ही उभयपक्ष की साक्ष्य सबूल लेकर किया जावेगा वर्तमान स्टेज पर केवल पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति क्षति के बिन्दु पर ही गौर किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बयनामा,साबिक जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल तथा हाल जमाबंदी के आधार पर प्रार्थीगण पृथम दृष्टया मामला साबित होता है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा नापूर्ति क्षति होने का अंदेशा भी प्रार्थीगण को ही है। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाखूबी साबित होता है। प्रा0पत्र स्वीकार किए जाने योग्य

8. अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण / वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे जारी टी0आई0 आदेश दिनांक 10.07.2019 को संपूष्ठ किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वो हाल आराजी ख.नं.169/02.05 वाके ग्राम चावण्डी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल ना करे ना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे तथा ना ही आराजी को किसी भी प्रकार से मुंतकिल करे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/11/2022

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना